

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2019—भाद्र 12, शक 1941

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2019

क्र. एफ. 1-3-2019-एक-उनसठ-यू. जी.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 08 जुलाई 2019 में अधिसूचित “मध्यप्रदेश आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम, 2019” के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

उक्त नियम के नियम 6.9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

6.9 अभ्यर्थी का जन्म 31-12-2002 को अथवा उसके पूर्व होना चाहिए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बेला देवर्षि शुक्ला, उपसचिव.